न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखराम बिश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या : 161 / 2023 सी.सी.एम.एस. नम्बर : 2023 / 161
दायर दिनांक : 17.05.2023 निर्णय दिनांक : 28.03.2025

1. मैनसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी भोजो की बाप तह. बाप जिला फलोदी

प्रार्थी

बनाम

1. जसवन्तसिंह पुत्र मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी भोजो की बाप तह. बाप जिला फलोदी
2. कुम्पीरसिंह पुत्र मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी भोजो की बाप तह. बाप जिला फलोदी
3. बनेकंवर पत्नी मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी भोजो की बाप तह. बाप जिला फलोदी
4. भुपेन्द्रसिंह पुत्र मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी भोजो की बाप तह. बाप जिला फलोदी
5. भवानीसिंह पुत्र मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी भोजो की बाप तह. बाप जिला फलोदी
6. अलाबक्स पुत्र मोहम्मद हनीफ जाति मुसलमान निवासी सिपाही नि. भोजो की बाप
7. आमदीन पुत्र पुत्र आदम खां जाति मुसलमान निवासी सिपाही नि. भोजो की बाप
8. इदरेश पुत्र शकूर खां जाति सिपाही निवासी भोजो की बाप तहसील बाप जिला फलोदी
9. गफूर खां पुत्र मोहम्मद हनीफ जाति सिपाही निवासी भोजो की बाप तह. बाप जिला फलोदी
10. रसीद पुत्र शकूर खां जाति सिपाही निवासी भोजो की बाप तहसील बाप जिला फलोदी
11. सदीक खां पुत्र मोहम्मद हनीफ जाति सिपाही निवासी भोजो की बाप तहसील बाप
12. हबीबुल्लाखां पुत्र दीनेखां जाति सिपाही निवासी भोजो की बाप तहसील बाप जिला फलोदी
13. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 57 रकबा 5.8922 हैक्टेयर ग्राम भोजो की बाप–2 पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू–नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 17.06.2022 को जारी आदेश क्रम संख्या 533 की पालना में दिनांक 20.06.2022 को हल्का

26/3/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रुबरू प्रार्थी तथा पड़ौसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 20.06.2022 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हो (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थी द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 12 द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थी को तारबंदी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थी की उक्त भूमि की बाड़, तारबंदी नहीं हो पाने से प्रार्थी अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबंदी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थी को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 20.06.2022 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 13 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 ता 12 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की ओर अधिवक्ता श्री मदनसिंह भाटी ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भोजो की बाप–2 पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 57 रकबा 5.8922 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का अपने अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 20.06.2022 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने अपनी बहस में जवाबा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे बताया कि प्रार्थी ने पश्चिम दिशा में अपनी हद से आगे बढकर मेड (धोरा) बांधकर अनधिकृत कब्जा किया हुआ है तथा खसरा नम्बर 57 के गलत सीमाज्ञान व फर्द पैमाईश की आड में शामिल करवाकर खसरा नम्बर 58 व 65 की राजकीय भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने पर आमदा है। प्रार्थी ने बरसाती पानी को संचित करने का खडीन खसरा नम्बर 58 व 65 में बना रखा है तथा गलत सीमाज्ञान की आड में खसरा नम्बर 57 की पत्थरगढी करवाने पर आमादा है। खसरा नम्बर 58 व 65 राजकीय भूमि के किसी निश्चित बिन्दु से सीमाज्ञान राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित करवाकर खसरा नम्बर 57 की पत्थर गढी की जावे।

26/3/25

सहा... कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भोजो की बाप–2 पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 57 रकबा 5.8922 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए खसरा नम्बर 58 व 65 राजकीय भूमि के किसी निश्चित मुस्तकिल बिन्दु से पुनः सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थर गढी की जानी उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम भोजो की बाप–2 पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 57 रकबा 5.8922 हैक्टेयर की पत्थर गढी राजकीय भूमि के खसरा नम्बर 58 व 65 के किसी निश्चित बिन्दु से पुनः पैमाईश टीम गठित की जाकर पडोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/3/25

(सुखासेम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)